## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /24/2016

जगन पुत्र परताप जाति जाट निवासी होता तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

**बनाम**

1– जसवन्तसिंह उर्फ यशवतनसिंह पुत्र हुकमसिंह
2–जवाहर (मृतक)
2/1–ओमवती पत्नी स्व. जवाहर
2/2–प्रेमशंकर
2/3–योगेश
2/4–आशीष
2/5–सोहनसिंह
– पुत्रगण स्व0 जवाहर

– जाति जाट निवासी होंता तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई बाबत नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 30.3.2016 ग्रांम होंता तहसील नदबई।

———

**उपस्थितः–**

1– श्री महाराजसिंह,अभिभाषक अपीलान्ट,
2– श्री गोबिन्द सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 1
3– श्री विजय सिंह कुन्तल, अभिभाषक 2/1 से 2/5,

**निर्णय** दिनांक 12.02.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश तहसीलदार नदवई वावत नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 30.3.2016 ग्रांम होंता तहसील नदवई के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 303 सहायक कलेक्टर, नदवई के आदेश की पालना में दर्ज किया जाकर तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 30.3.2016 को स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। योग्य अभिभापक उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

योग्य अभिभापक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वताया कि गुलकन्दी जव खाननदाज हुई थी उस समय हुकमसिंह की विवाहित पत्नी रेशम भी जिन्दा रही थी जिससे उत्तरवादी संख्या 2 जन्मा है तथा गुलकन्दी से उत्तरवादी संख्या 1 जन्मा है। इसलिए शून्य विवाह से उत्पन्न

.....2

जिला कलक्टर,
भरतपुर

उत्तरवादी संख्या 1 अधमर्ज सन्तान है जिसे 16(3) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है इसलिए उसके नाम जो 1/4 हिस्से के इन्द्राज रहे हैं वह भी कतई गलत है परन्तु यह उत्तरवादी संख्या 1 व 2 के मध्य का झगडा है इसलिए अपीलार्थी के 1/2 हिस्सा से अधिक से कोई सम्बन्ध नहीं हैं परन्तु उत्तरवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा व उत्तरवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा होता है इस प्रकार 1/6 हिस्सा को अधिक की उत्तरवादी संख्या 1 (वादी को खातेदारी प्रदान करने में व दावा उत्तरवादी संख्या 1 के हक में पारित अवैध व शून्य डिक्री के आधार पर नियम के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि रामफूल की मृत्यू हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व हो चुकी थी। इस प्रकार भी उसके द्वारा छोडी आराजी को उसके दो भाई हुकमसिंह व अपीलार्थी जगन ने बहिस्सा बराबर उत्तराधिकार में प्राप्त कर लिया था। उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व विधवा स्त्री को कोई अधिकार उत्तराधिकार प्राप्त नहीं रहा था। इसलिये अपीलाधीन नामान्तकरण काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर नदबई से दावे में कोई सम्मन लेकर अपीलान्ट के पास नहीं पहुंचा और ना ही अपीलान्ट ने सम्मन लेने से कभी इन्कार किया है। तहत न्यायालय ने मौके पर कब्जा काश्त की कोई जांच नहीं की। शून्य एवं निष्प्रभावी डिग्री के आधार पर तहत न्यायालय ने नामान्तकरण स्वीकार किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 30.9.2016 को हुई तब जाकर नकल वगे0 लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है, अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 में देरी का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 का कहना है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सहायक कलेक्टर नदबई के निर्णय/डिक्री एवं इजराय की पालना में तहसीलदार नदबई ने स्वीकार किया है। तहसीलदार ने सहायक कलेक्टर के आदेश की पालना की है। किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश भी नहीं था। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 का यह भी कहना है कि अपीलान्ट द्वारा उठाये गये बिन्दू नामान्तकरण में तय नहीं होते हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्त आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1338, आर.आर.डी. 2013 पेज 37, आर.आर.टी.2018(2) पेज 1188 एवं आर.बी.जे. 1996(3) पेज 295 उद्धरित किये।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

**अपील /24/2016**
**जगन बनाम जसवन्त वगै0**

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 303 ग्रांम होंता तहसील नदबई का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण पर हल्का पटवारी द्वारा अंकित नोट से यह निर्विवाद है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 303 ग्रांम होंता सहायक कलेक्टर नदबई के आदेश/डिग्री 44/14 तारीख निर्णय दिनांक 6.7.2015 एवं इजराय पत्र कमांक/इजराय /15/418 दिनांक 11.8.2015 की पालना में दर्ज किया जाकर तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 30.6.2016 को स्वीकार किया गया है। तहत न्यायालय के पास सहायक कलेक्टर नदबई के निर्णय/डिग्री पालना करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं था। तहसीलदार नदबई ने नियमों के तहत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 30.6.2016 ग्रांम होंता तहसील नदबई स्वीकार किया गया है, जिसमें उन्होने कोई त्रुटि नहीं की है। अस्तु अपील अपीलान्ट सारहीन होने से काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर